

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर सूरजगढ जिला झुझुनु (राज0)

रीतारसीन अधिकारी -

अभिलाषा आरएएस

मुकदमा नम्बर - 55/2021

अमरसिंह पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी रघुवीरपुरा तहसील सूरजगढ जिला झुझुनु।

---प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील सूरजगढ जिला झुझुनु

-----अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी की ओर से - श्री संदीप मान एडवोकेट



अप्रार्थी की ओर से - तहसीलदार सूरजगढ


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 पत्थरगढी

निर्णय

निर्णय :- 05.07.2021

(1) प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि-

1. वाके ग्राम रघुवीरपुरा पटवार हल्का धीगडिया की सरहद में खसरा नम्बर 77 रकबा 1.15 है. प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है।
2. प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 77 रकबा 1.15 है भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार सूरजगढ के पत्र क्रमांक भूअ./सीमाज्ञान/21/18 दिनांक 18.06.2021 को पटवार हल्का धीगडिया को आदेश दिया कि पक्षकारान की मौजूदगी में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 77 रकबा 1.15 है का सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमाज्ञान की रिपोर्ट मौके पर तैयार करवाई जावे। पटवारी हल्का धीगडिया ने दिनांक 19.06.2021 को सीमाज्ञान मौके पर प्रार्थी और आस पडौस के लोगो की मौजूदगी में किया गया। मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की गई।
3. प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि के चारो दिशाओं में पत्थरगढी करवाना चाहता है। ताकि भविष्य में खेत के पडौरियों से सीमा बाबत किसी प्रकार वाद ना हो। इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 77 रकबा  का विधिवत नाप करवाकर पुख्ता सीमा तिनक बनाना कर के पत्थरगढी करवाना चाहता है।



उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

(2) प्रार्थी से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि-

प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 77 रकबा 1.15 है. ग्राम रधुवीरपुरा पटवार हल्का धीगड़ियां में स्थित भूमि की पत्थरगढी का आदेश किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की कृषि भूमि का विधिवत् पत्थरगढी करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी की सम्यक तामिल हुई।

(3). प्रार्थी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2074-77, नकल फर्द सीमाज्ञान दिनांक 19.06.2021, नकल नक्शा ट्रेश पेश किये गये।

(4). बहस सुनी गई।

(5). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार सूरजगढ न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर स्वयं ने बहस की गई। तहसीलदार सूरजगढ ने अपनी बहस में कहां की मौके व रिकार्ड में किसी प्रकार को कोई विवाद नहीं है। पटवारी हल्का व भू.अ.निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.06.2021 को मौके पर सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में पुख्ता चिन्ह करवाना चाहता है। जिससे हमे कोई आपत्ति नहीं है। आराजी मुतनाजा प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिसकी सुरक्षा, संरक्षा का प्रार्थी का अधिकार है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.06.2021 को तहसीलदार सूरजगढ के आदेश से पटवारी व गिरदावर हल्का से सीमाज्ञान करवाया गया था। जिसकी फर्द शामिल पत्रावली है। किसी तरह का सीमा का विवाद नहीं रहे, इसलिए पुनः सीमाज्ञान कर सीमाज्ञान के सम्यक् उपरान्त पत्थरगढी किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश ::—

न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम रधुवीरपुरा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनु राजस्थान स्थित आराजी खसरा नम्बर 77 रकबा 1.15 है0 का पुनः सीमाज्ञान कर सीमाज्ञान के सम्यक् समाधान उपरान्त प्रार्थी के खर्चे पर सीमाचिन्ह, पत्थरगढी कायम कराए जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को पालना हेतु तहरीर जारी हो। तहसीलदार सूरजगढ पालना कर रिपोर्ट पेश करे।

(अभिलाषा)

उपरखण्ड अधिकारी, सूरजगढ
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

निर्णय आज दिनांक 05.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)

उपरखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ